ployment. Despite specific instructions from the Government from time to time, unfortunately, even today thousand of disabled and physically handicappe persons who are registered with employment exchanges are waiting for job opportunities. Is the Government thinking of doing something for the physically handicapped? Is the Government going to reserve a certain percentage of jobs in addition to the existing reservation quota for them?

SHRI P. K. THUNGON: In fact, the question does not relate to the employment. But for the information of the hon. Member, I would like to state that 3 per cent of the total vacancies are reserved for handicapepd people. This is known to the House.

SHRI SATYASADHAN CHAKARABORTY: This is a very important question. You know the magnitude and intensity of the problem. According to the study conducted by the World Heatlh Organisation, 10 to 13 per cent of the world population is physically or mentally handicapped. Their number in India is roughly 70 million. The problem of the physically handicauped is integration, employment, rural rehabilitation legislation and asistance to the voluntary organisations. So far as the legislation part of it is concerned, in 1981 the Government of India appointed a committee under the chairmanship of Shri Lal Advani, Director of National Institute of Visual Handicapped. That Committee recommended certain things including legislation by Parliamet regarding employment and compulsory education of the visually and other handicapped persons. What about that legislation? Is the Government thinking seriously about implementing the recommendations of the Committee appointed by the Government? If so, when is that legislation going to be introduced in this House?

SHRI P. K. THUNGON: As regards the percentage of the total number of handicapped people in the world, it is 10 per cent and in case of India it is 20 per cent. As regards the implementation of the lal Advani Committee Report, since this question does not relate to that, I need a fresh notice for that if the hon. Member wans to know about that in detail.

SHRI SATYASADHAN CHAKARABORTY: Has the Minister heard the name of that Committee? Please do your home work.

MR. SPEAKER: Why do you not help him? You are his neighbour.

श्री मोती भाई आर० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, विकलांग बच्चों के कल्याण के लिए 1974 से जो स्कीम चल रही है उससे कितने प्रतिशत लाभ हुआ है। मेरे खयाल से इस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है और जो स्वैच्छिक संस्थाएं इस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं उनको भी सरकार द्वारा सहायता नहीं दी जा रही है । समय पर इनको ग्रांट नहीं दी जाती इसलिए इस कार्य में काफी रुकावट आ रही है । क्या माननीय मंत्री महोदय इसको देखेंगे ?

श्री पी० के० थुंगन : यह सच है कि यह स्कीम 1974 से चालू है । इस

स्कीम के अन्तर्गत जिन स्कूलों में डिस-एबल्ड स्टूडेण्ट्स पढ़ते हैं, उन स्कूलों को सहायता दी जाती है । उन स्कूलों के जो टीचर्स हैं, उनके वेतन और भत्तों का 15 परसेंट । बच्चों के लिए किताबों, ट्रान्सपोर्ट आदि की सहायता दी जाती है ।

श्री राम विलास पासवान : 1977 के बाद देश में कितने अन्धे हैं, लंगड़े हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, टी० बी० से बीमार हैं और कितने विकलांग हैं, क्या इन तमाम चीजों पर सर्वेक्षण किया गया है? यदि नहीं किया गया है तो सरकार बताए कि पिछले साल कब सर्वेक्षण हुआ था और पूरे देश के स्तर पर सरकार सर्वेक्षण करने के लिए कब जायेगी जिससे लोगों को सही चित्र का पता लगे ?

श्री पी० के० थुंगन : जैसा मैंने सदस्य महोदय के जवाब में कहा था कि करीब 12 परसट पापुलेशन डिस-एबल्ड है, स्पेसी-फिक सर्वेक्षण अभी तक किया नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान : स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि पिछले पांच वर्षों में सर्वेक्षण नहीं कराया गया है ? आपने कहा है कि "हैल्थ टू ऑल" सबके लिए स्वास्थ्य । सर्वेक्षण कब होगा सिर्फ इतना ही बता दें ?

अध्यक्ष महोदय : कब होगा ?

श्री पी० के० थुंगन : हैल्थ के बारे में पूछा जा रहा है । हैल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा सवक्षण किया जाता है ।

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, सैन्सस के मुताविक डिस-एबल्ड पापुलेशन एक लाख, 18 हजार, 948 है, ब्लाइण्ड लोगों की संख्या चार लाख, 78 हजार, 697 है । इस तरह आप पता लगा सकते हैं कि डिस-एबल्ड लोगों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई है । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह सेण्ट्रल स्पान्सर्ड स्कीम 1974 से चल रही है, इसकी क्या प्रगति है, कितने स्कूल खोले गए हैं और कितने डिस-एबल्ड परसन्स को सरवाइबल के लिए फिट किया गया है ?

श्री पी० के० थुंगन: सर्वे के बारे में ऑनरेबल मेम्बर ने पूछा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि 1981–82 में एक प्रेलीमिनरी सर्वे किया गया था, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो इनका जवाब था ।

(व्यवधान)

इण्डियन रेलवे वर्कर्स फेडरेशन का मांग-पत्र

*166. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन रेलवे वर्कर्स फेडरेशन का तीसरा सम्मेलन मुगलसराय में दिसम्बर, 1982 के दूसरे सप्ताह में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उनका मांग पत्र तथा उक्त सम्मेलन में पारित संकल्प की प्रति प्राप्त हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या तत्सम्बन्धी ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(घ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURY): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (d) According to letters received from the Indian Railway Workers' Federation in December, 1982 and January, 1983 it is understood that this Federation held its Annual Conference at Mughalsarai on 9-11 December, 1982 and passed certain resolutions—some of them relating to the conditions of service of Railway employees and some of general aspects not concerning Railways.

2. In so far as the resolutions concerning Railways are concerned, it may be stated that they, inter-alia, relate to :—

(i) Parity in wages with Public Sector Workers;

(ii) Revision of D.A. Formula and basis of merger of Dearness Allowance;

(iii) Grant of statutory bonus to Railway employees;

(iv) Time bound promotion policy for Railway employees;

(v) Decasualisation of casual workers;

(vi) Hours of duty of Railway workers;

(vii) Alleged victimisation of railway workers etc. etc.

3. Those demands, which are of a general nature, have to be examined in the totality of the conditions of service applicable to all Central Government servants and no unilateral decision can be taken in respect of Railway servants. Such demands are discussed in the recognised forums, namely, the Joint Consultative Machinery which is available to all Central Government employees. In so far as specific demands concerning Railwaymen are concerned, there is a well established Permanent Negotiating Machinery and the Joint Consultative Machinery forums avaiable and railway employees are expected to channelise the demands through these forums to enable an integrated view being taken of the needs and demands of all segments of the staff.

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, इंडियन रेलवे वर्कर्स फेडरेशन की कानफेंस 9 से 11 दिसम्बर तक मुगलसराय में हुई । वहां स्वीकृत मांग पत्र के सिलसिले में यह सवाल पूछा गया है । मंत्री जी ने 7 मांगों की चर्चा की है इस वक्तव्य में जिनमें सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की समान मजदूरी, नैमित्तिक श्रमिकों को स्थाई करना आदि मांगें शामिल हैं जिनका सम्बन्ध रेल मजदूरों से होने का संकेत है । बाकी का कहते हैं रेल मजदूरों से सम्बन्ध नहीं है । तो इस वक्तव्य में कहा गया है कि इस प्रकार की मांगों पर मान्यता प्राप्त फोरम जैसे संयुक्त परामर्शतंत्र जो अभी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है में विचार विनिमय किया जाता है । तो इस तरह की मांगे मजदूर यूनियने उठा रही हैं या फेडरेशन जो रेलवे के अन्दर हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि इन मांगों के बारे में संयुक्त परामर्शतंत्र में विचार किया गया है या नहीं ? यदि किया गया है, तो वह समिति में किस निर्णय पर पहुंचा गया, इस बात की जानकारी सदन को मंत्री जी दें ।

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI : Normally speaking, these facilities have been given to the all India recognised federations. The two all India recognized federations, the All India Railwaymen's Federation and the National Federation of Indian Railwaymen, cover nearly 80 per cent of the railwaymen; the unions which are affiliated to these Federation are given recognition. There are as many as 70 associations of railway employees and it is not always possible, nor is it desirable, to give recognition to all of them.

श्री रामावतार शास्त्री : यह सवाल का जवाब नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : वह आ रहे हैं धीरे-धीरे । अभी स्टेशन पर पहुंचे नहीं ।

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: This is a specific ances between the railway employees and the public sector undertakings is not tenable due to totally different conditions of working, terms and conditions of recruitment and privileges enjoyed by the railway workers vis-a-vis those in the public sector. The railway workers have also different avenues of promotion and allotment of higher grades, as compared to workers in the public sector units.

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने यह नहीं पूछा था । इन मांगों के बारे में जे० सी० एम० में रिकग्नाइज्ड यूनियनों के साथ विचार किया गया है कि नहीं ? यदि हां, तो किस नतीजे पर पहुंचा गया है ? इसका जवाब दिलाइये ।

अध्यक्ष महोदय : छोटे जवाब से आश्वस्त होंगे ?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI : Some of these demands were not specially discussed in the JCM. They will discuss them. The difficulty is they come from an unrecognized union . . . (*Interruptions*) You know the system in the railways. We go by that system. I entirely agree with you that there is no harm in talking to the workers, and we are prepared to talk on that if the situation demands so. (*Interruptions*) I will certainly look into that, but I am just talking about the convention prevailing in the railway organisation.

श्री रामावतार शास्त्री : मेरा दूसरा सवाल कैजुअल मजदूरों से सम्बन्धित है । नैमित्तिक श्रमिकों को स्थाई करने की मांग उठाई जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे के अन्दर नैमित्तिक मजदूरों की कुल संख्या क्या है ?

1980 में सरकार ने तय किया था कि उनको नियमित करने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है । इस पृष्ठभूमि में मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक कितने लोगों को नियमित किया गया है और जो बचे हुए हैं, उनको नियमित करने के बारे में सरकार के सामने क्या कार्यक्रम है ?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: Mr. Speaker, Sir, on this there is another question. Now, if the hon. Member wants me to give an answer on the same lines on the same question, I am prepared to give that.

MR. SPEAKER : Let that question come.

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: This is a specific question on that.

अध्यक्ष महोदय : उसको साथ में जोड़ दें ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उसको अभी ले लीजिए ।

MR. SPEAKER : Which is that ? We shall take it up right now.

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: Open line is the work which is essential for the day-to-day running of the railways. Project is the work which is for providing additional facilities to improve carrying capacities of the railways. There are at present in 1.3 lakhs casual labourers on open lines and 80,000 labourers on projects.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: What is the total ?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: Total is 1.3 lakhs and 80,000.

श्री रामावतार शास्त्री : श्रम मंत्री ने बताया था 2 लाख 3 हजार और ये कुछ और बता रहे हैं । अब दोनों में फर्क हो गया ।

अध्यक्ष महोदय : बराबर ही आ गया ।

श्री रामावतार शास्त्री : कितनों को रेगुलर किया गया । यह तो जवाब दिया नहीं । संख्या केवल बता दी ।

अध्यक्ष महोदय : आपने संख्या ही पूछी है ।

श्री रामावतार शास्त्री : इसमें से रैगुलर कितने किये गये ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल कौन सा है ?

एक माननीय सदस्य : प्रश्न संख्या 177 ।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री जी रैगुलर हैं या कैजुअल हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : रैगुलर कितने बनाये हैं यह तो जानकारी दे दें ।

MR. SPEAKER: This is the answer to which question? 177?

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: Sir, you can take Question No. 172 also.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri R. L. P. Verma.

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: Sir, there is some temporary status given to casual labour. There is some temporary status for them.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: How many?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: Those on the open line are 1.3 lakhs and we give them temporary status. You know the benefits of the temporary status and if you want to know what benefits we give them. I can read out the benefits. And for the 80,000 casual labour on projects we do not give them the temporary status.

MR. SPEAKER: Shri R. P. Yadav.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Sir, hear me for a minute regarding this question.

MR. SPEAKER: No, you can't.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: How can I raise this, Sir?

MR. SPEAKER: Afterwards.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Look at the answer. The whole question has been spoiled because he has not applied his mind.

MR. SPEAKER: No, it is not going on record.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Overruled.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Are you satisfied? (*Interruptions*). He is also casual Sir.

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, पढ़-लिखे आदमी ऐसा नहीं करते ।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: It is better to be a Socrates dissatisfied than to be a Greek satisfied.

MR. SPEAKER: You have your philosophy, Sir.

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बताया और वह सही भी है कि रेलवेज में दो रिकग्नाइज्ड फेडरेशन्स हैं—एन० एफ आई०आर० और ए०आई०आर० एफ० । यह दोनों फेडरेशन्स मान्यता प्राप्त हैं । ये फेडरेशन्स ऐसी डाक्टर हैं जिनके पास बहुत सी दवाइयां हैं लेकिन उनके

*Not recorded.

पास मरीज़ पहुंचते नहीं हैं। बार बार इस सदन में बात आई कि क्यों न सीक्रेट बैलट के माध्यम से एक रिप्रेजेण्टेटिव यूनियन चुनी जाए। बार बार यह बात यहां पर उठती रही है लेकिन पता नहीं मंत्री जी को इसमें क्या दिक्कत है ? एक इण्डस्ट्री में एक यूनियन की बात बार बार कही गई है और सीक्रेट बैलट के माध्यम से उसका चुनाव होना चाहिए, यह मांग की गई है। मैं जानना चाहता हूं इसकी व्यवस्था रेलवेज़ में मंत्री जी करना चाहते हैं या नहीं ?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: I have said specifically we normally discuss with the recognised unions. There is no harm in talking to other unions and knowing their demand.

Whatever the conventions and rules stand. . . . (*Interruptions*).

SHRI R. P. YADAV: I am not talking of conventions. I know the convention. Knowing it fully well, I ask what about one union in one industry and what about the secret ballot ? This is my question.

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: I think I have answered that.

SHRI R. P. YADAV: Has he answered the question ? You are in the Chair, Sir.

MR. SPEAKER: He has very adroitly side tracked.

SHRI R. P. YADAV: Sir, you are the judge. Has he answered the question ? He has got to reply my question.

MR. SPEAKER: No, he cannot.

इसके लिए आप दूसरा सवाल करिए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं तो रेलवेज के सम्बन्ध में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे सीक्रेट बैलट के माध्यम से एक रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन का चुनाव करना चाहते हैं या नहीं ? मैं दूसरी मिनिस्ट्रीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं।

You please request him to reply to my question. He has got to reply. Please order him to reply to my question.

PROF. MADHU DANDAVATE: Why does he not say that it is under active consideration ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैंने रेलवेज के बारे में सवाल पूछा है, आप उसका जवाब दिलवाइये।

MR. SPEAKER: Is it for the Labour Ministry or his Ministry ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं तो रेलवेज की बात कर रहा हूं, लेबर की बात कहां कर रहा हूं ? मैं तो यह जानना चाहता हूं कि रेलवेज में मंत्री जी सीक्रेट बैलट के द्वारा यूनियन का चुनाव कराना चाहते हैं या नहीं। मैं लेबर की बात नहीं कर रहा हूं। यह सवाल इसमें उठता है इसलिए आप मुझे इसका उत्तर दिलवाइये।

MR. SPEAKER: Let me see.

SHRI R. P. YADAV: How can this question be passed on ? He has got to reply.

MR. SPEAKER: If it is for the Labour Ministry, then I cannot press him. I will find that out.

SHRI R. P. YADAV: This supplementary arises out of this question.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Labour Ministry has nothing to do with that.

MR. SPEAKER: All right, you reply in any way you like.